

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

कारा महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक- / /2024 ई०।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष-4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय, लघुशीर्ष-207-राज्य पुलिस, उपशीर्ष-78-राज्य के काराओं का आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य में रु० 2,03,31,500/- (दो करोड़ तीन लाख इकतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-424, दिनांक 18.12.2023 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि रु० 2,03,31,500/- (दो करोड़ तीन लाख इकतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के विभिन्न OSP काराओं में विभिन्न मरम्मत/निर्माण कार्य हेतु राज्य योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष-4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय, लघुशीर्ष-207-राज्य पुलिस, उपशीर्ष-78-राज्य के काराओं का आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (विपत्र कोड-22S40550020778000545) अंतर्गत कुल रु० 2,03,31,500/- (दो करोड़ तीन लाख इकतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

(राशि रु० में)

क्र०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	आवंटित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम एवं DDO कोड
1	Repair of Watch Tower (1-4) at Sub-Jail Tenughat in the district of Bokaro.	22,10,700/-	22,10,700/-	अधीक्षक, उपकारा, तेनुघाट, बोकारो (BKRJLS001)
2	Renovation of Kakshpal Barrack No. 1 at Sub-Jail Tenughat in the district of Bokaro.	21,71,300/-	21,71,300/-	
3	Renovation of Kakshpal Barrack No. 2 at Sub-Jail Tenughat in the district of Bokaro.	11,18,700/-	11,18,700/-	
4	Renovation of Kakshpal Barrack No. 3 at Sub-Jail Tenughat in the district of Bokaro.	19,54,400/-	19,54,400/-	
5	Renovation of Administrative Building at Sub-Jail Tenughat in the district of Bokaro.	26,99,200/-	26,99,200/-	
6	Repair of Diwani ward at Sub-Jail Tenughat in the district of Bokaro.	12,65,300/-	12,65,300/-	
7	Renovation of Prison female ward at Sub-Jail Tenughat in the district of Bokaro.	22,29,800/-	22,29,800/-	
8	Repair of Perimeter Wall (710m) & Watch Tower (7 nos.) at P.L. Mandal Kara, Koderma in the district of Koderma.	66,82,100/-	66,82,100/-	अधीक्षक, मंडल कारा, कोडरमा (KDMJLSA01)
	योग :-	2,03,31,500/-	2,03,31,500/-	

(दो करोड़ तीन लाख इकतीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र

2. उक्त आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित काराधीक्षक होंगे, जो संबंधित जिला कोषागार से राशि की निकासी कर झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JPHCL), राँची के PL खाते में हस्तांतरित करायेंगे।

✓

3. उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची द्वारा किया जाएगा। निर्माण/अधिष्ठापन कार्य की गुणवत्ता की जिम्मेवारी संयुक्त रूप से संबंधित काराधीक्षक एवं संबंधित एजेंसी की होगी। संबंधित एजेंसी प्राक्कलन/मानक की विशिष्टियों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता युक्त मानक स्तर का कार्य सुनिश्चित करायेंगे। यह उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी पाये जाने पर अथवा कार्य मानक स्तर का नहीं पाये जाने पर इसके लिए संबंधित एजेंसी सीधे उत्तरदायी होंगे एवं ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

4. संबंधित काराधीक्षक निरन्तर योजनाओं की जाँच करेंगे तथा प्राक्कलन के अनुरूप ही अपनी देख-रेख में ससमय कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित योजना का प्राक्कलन, मापी पुस्त की छायाप्रति, गुणवत्ता की जाँच की प्रति एवं भुगतान से संबंधित विपत्र की छायाप्रति, काराधीक्षक कार्यालय में भी संचारित की जाएगी एवं स्थायी रूप से रखी जाएगी। कार्य में कोई गड़बड़ी या अनियमितता पाये जाने पर तुरंत कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड को प्रतिवेदित करेंगे। वे प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से व्यय विवरणी भेजेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि का विचलन, दुर्विनियोग और गबन नहीं हो।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संचारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

6. विषयांकित योजना के भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची पर होगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों के लिए नहीं करेंगे तथा खर्च न होने वाली/बचत की राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई करेंगे।

8. योजना का कार्यान्वयन में PWD Code, वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०, दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत संबंधित सभी वित्तीय/प्रशासनिक नियम/विनियम का अक्षरशः पालन किया जायगा। Tax (IT/VAT/Service Tax/Royalty) इत्यादि At Source /स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप Settle किया जायगा। कार्यान्वयन एजेंसी किसी भी अनियमितता के लिए उत्तरदायी होगी।

9. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा।

10. गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

11. कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची योजनाओं का कार्यान्वयन ससमय पूर्ण कराते हुए आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

12. योजनाओं का वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार, राँची तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अविनाश कुमार)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-06/गृ०(का०)आधु०-102/2023-.../जेल,

राँची, दिनांक-09/01/2024 ई०।

प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/आयुक्त एवं उपायुक्त, बोकारो एवं कोडरमा/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/मुख्य अभियंता, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची/अवर सचिव, बजट प्रशाखा, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अधीक्षक, उपकारा, तेनुघाट, बोकारो एवं मंडल कारा, कोडरमा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर मुख्य सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)

चाहू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 6/G(K)A-102/23/147

दिनांक - 09-Jan-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 22 40550020778000545 4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 00 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 207 - राज्य पुलिस 78 - राज्य के काराओं का आधुनिकीकरण/सुदृढीकरण 00-NA 05 - निर्माण State Scheme	75422	BKRJLS001 SRI ARUNABH JAIL SUPRITENDENT TENUGHAT 45 - निर्माण कार्य	13,649,400.00 रुपये एक करोड छत्तीस लाख अन्यास हजार चार सौ
	State Scheme : MODERNISATION /STRENGTHENING OF STATE PRISONS(1643) Central Scheme : NA			
2	S 22 40550020778000545 4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 00 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 207 - राज्य पुलिस 78 - राज्य के काराओं का आधुनिकीकरण/सुदृढीकरण 00-NA 05 - निर्माण State Scheme	75424	KDMJLSA01 RAJMOHAN RAJAN SUPD.DIST.JAIL KDM. 45 - निर्माण कार्य	6,682,100.00 रुपये छह लाख बयासी हजार एक सौ
	State Scheme : MODERNISATION /STRENGTHENING OF STATE PRISONS(1643) Central Scheme : NA			

योग:

रुपये दो करोड तीन लाख इक्तीस हजार पॉच सौ

20,331,500.00

क्रमिक योग:

(AVINASH KUMAR)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY